(वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक– 11–268/2014 F.C. दिनांक 11.07.2014 की बिन्दुवार आख्या)

प्रमाणित किया जाता है कि–

1. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–मथुरा रोड़ (एस0एच0–80) किमी0 05 दांयीं पटरी खसरा सं0 30, ग्राम–दौलताबाद, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के Ex-post facto approval हेतु प्रभावित 0.07595 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकासी मार्ग के अंतिम कोने से बफर स्ट्रिप की दूरी 11.50 मी0 है, तथा सम्पर्क मार्गों तथा सेपरेटर आईलेण्ड का क्षेत्रफल 0.07595 है0 है, जो लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ के द्वारा अनुमोदित है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड़ ट्रान्सपोर्ट एवं हाईवे के अनुरूप हैं तथा यह मार्ग लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ के अधीन है।

2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–राया–मथुरा रोड़ (एस0एच0–80) किमी0 05 दांयीं पटरी खसरा सं0 30, ग्राम–दौलताबाद, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर किसी भी वृक्ष का पातन प्रस्तावित नहीं है।

3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर पार्किंग, शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें रेस्टोरेन्ट, दुकान आदि का प्राविधान नहीं किया गया है।

4. रोड़ का निर्माण या चौड़ीकरण न होने के कारण प्रस्तावित बिन्दु– 4 लागू नहीं होता है।

5. साइन बोर्ड स्थापित करते समय पटरी वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

6. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प की दीवार से 1 से 1.5 मी0 के मध्य वृक्षारोपण किया जायेगा।

7. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के व्यय पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड

प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड़
एन०एच० 24 पोस्ट पाकबाड़ा, मुरादाबाद

C:\Users\pc\Desktop\Part 1 documents.doc